



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092025-266340
CG-DL-E-24092025-266340

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4179]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947

No. 4179]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

का.आ. 4297(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3(क) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 के कि.मी. 10.700 से कि.मी. 30.000 तक के भूखंड (वाराणसी -गाजीपुर खंड) का निर्माण (चौड़ा करने/चारलेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सक्षम प्राधिकारी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) वाराणसी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात करेगा या अननुज्ञात करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 के कि.मी. 10.700 से कि.मी. 30.000 तक के भूखंड (वाराणसी गाजीपुर खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: वाराणसी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सदर					
गांव का नाम: कैथी					
1	1019	निजी (निजी)	कृषि	0.0571 (हेक्टेयर)	0.0571
2	1476	निजी (निजी)	कृषि	0.0146 (हेक्टेयर)	0.0146
3	1481	निजी (निजी)	कृषि	0.0286 (हेक्टेयर)	0.0286
गांव का नाम: भंडहा कला					
4	805 mi	निजी (निजी)	कृषि	0.279 (हेक्टेयर)	0.279
गांव का नाम: मोलनापुर					
5	490 K & Kha	निजी (निजी)	कृषि	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
गांव का नाम: चंद्रावती					
6	195	निजी (निजी)	कृषि	0.0027 (हेक्टेयर)	0.0027
गांव का नाम: बहादुरपुर					
7	260	निजी (निजी)	कृषि	0.058 (हेक्टेयर)	0.058
गांव का नाम: शाहपुर					
8	100	निजी (निजी)	अकृषि	0.0354 (हेक्टेयर)	0.0354
गांव का नाम: नरपतपुर					
9	22/6	निजी (निजी)	कृषि	0.0068 (हेक्टेयर)	0.0068
Total					0.5062

[फा. सं. NHAI/11013/2014-LA-NH-29/Notif./PIU-Varanasi/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

S.O. 4297(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the additional land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for construction (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of Varanasi-Ghazipur section of NH29 in the stretch of land from Km. 10.700 to Km. 30.000 in the district of VARANASI in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, ADM (E) Varanasi in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3(C) of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in Varanasi-Ghazipur section of NH29 in the stretch of land from Km. 10.700 to Km. 30.000 in the district of VARANASI in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: VARANASI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sadar					
Village: Kaithi					
1	1019	Private	Agriculture	0.0571 (Hectare)	0.0571
2	1476	Private	Agriculture	0.0146 (Hectare)	0.0146
3	1481	Private	Agriculture	0.0286 (Hectare)	0.0286
Village: Bhandaha Kala					
4	805 mi	Private	Agriculture	0.279 (Hectare)	0.279
Village: Molanapur					
5	490 K & Kha	Private	Agriculture	0.024 (Hectare)	0.024
Village: Chandrawati					
6	195	Private	Agriculture	0.0027 (Hectare)	0.0027
Village: Bahadurpur					
7	260	Private	Agriculture	0.058 (Hectare)	0.058
Village: Shahpur					
8	100	Private	Non-Agriculture	0.0354 (Hectare)	0.0354
Village: Narpatpur					
9	22/6	Private	Agriculture	0.0068 (Hectare)	0.0068
Total					0.5062

[F. No. NHAI/11013/2014-LA-NH-29/Notif./PIU-Varanasi/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director